अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 382/2013** सुरेश चौधरी एवं अन्य –– अपीलार्थीगण वनाम कला देवी वगैरह –– रेसपोण्डेन्ट्स **–:: आदेश ::–**	
06.12.2014	प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 24.06.13 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 255/2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद अंतर्गत मौजा–राजनपुर थाना नं0 127, तौजी नं0 3811 थाना अंचल महिषी, जिला– सहरसा का खाता सं० 238नया, खेसरा सं०–4022 नया रकवा–1 धुर एवं खाता संख्या 237 खेसरा संख्या 4031 नया रकबा 2 धुर 10 धुरकी भूमि विवादित प्रश्नगत भूमि है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि रेसपोंडेन्ट। ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में वाद सं०–255/12 दाखिल कर उपरोक्त भूमि को अपीलार्थी से मुक्त करवाने एवं दखल कब्जा की सम्पुष्टि का प्राख्यापन करने हेतु प्रार्थना किया गया। उपरोक्त भूमि उन्हें केवाला संख्या–12272 दिनांकः 5.10. 2009 नविस्ते श्रीमति चौरचनियॉ देवी वहक कला देवी प्राप्त है वो दाखिल खारिज होकर जमाबंदी संख्या– 1689 दर्ज है तथा विवादी भूमि का हाल सर्वे विक्रेता के नाम से दर्ज है बतलाते हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि का अंचल अमीन से नापी करवाने पर 2.5 धुर जमीन खेसरा सं० 4031 पर महेश्वर चौधरी (अपीलार्थी संख्या–2) द्वारा नाजायज रूप से फूस इटी का घर बना लेने की स्थिति में वे कचहरी में आवेदन दिया तो उन्हीं के पक्ष में आदेश पारित हुआ। आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब, कागजात, तथा लिखित बहस दाखिल किया गया किन्तु उनके कागजातों का बिना सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किये ही विद्वान भूमि–सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा रेसपोंडेन्ट के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि खाता संख्या–237 नया, खेसरा नं०–4031, रकवा–13 डी० हाल सर्वे खतियान में गोनर पिता–नेवी लाल 6 अंश, गणेशी वो पुलेश्वर वो कालेश्वर वो हरि लाल पिता–कबूतर	

6 अंश, जगदीश पिता–दोरिक 1 अंश, गोरिक वो धनिक वो अयोध्या पिता–मदारी–3 अंश, पल्टू वो कारी पिता संतोशी–4 अंश, बासदेव वो सुखदेव पिता जग्गु–4 अंश दर्ज है। इस प्रकार गोनर पिता नेवी लाल को खेसरा संख्या–4031 नया में 3.25 डी० जमीन प्राप्त है। मोताविक हाल सर्वे खतियान के खेसरा संख्या–4031, 4225, 4318 एवं 4051 का कुल रकवा 63 डी० है जिसमें गोनर पिता नेवी लाल को कुल 15.75 डी० भूमि हासिल था बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि गोनर चौधरी पिता नेवी लाल द्वारा अपने सभी खेसराओं में प्राप्त हिस्सा को दिनांकः 28.12.1966 ई० में अपीलार्थी के पिता–सुखदेव चौधरी के हाथ खेसरा नं० 4031 नया में से रकवा 6 कट्ठा भूमि वाजिब जरसम्मन पाकर फरोख्त कर दिए वो गोनर पिता नेवा लाल को किसी खेसरा में भूमि शेष नहीं रह गया चूँकि उनके द्वारा अपना हिस्सा खेसरा सं० 4031 नया, 3504 पूराना में फरोख्त कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि खेसरा सं० 4022 नया अन्दर खाता सं० 238 नया रकवा 2 डी० नाम से गोनर पिता नेवी लाल 1 अंश वो गणेश वो पुलेश्वर वो कालेश्वर पिता– कबूतर 1 अंश हाल सर्वे खतियान में दर्ज है वो गोनर द्वारा अपना हिस्सा 6 कट्ठा भूमि खेसरा सं० 4031 नया अर्थात 3504 पुराना में वर्ष 1966 ई० में फरोख्त कर दिये जाने के कारण उसका इस खेसरा में भी हिस्सा नहीं बचा वो अन्य फरीकेन का खाता सं० 238 खेसरा सं० 4022 में हिस्सा बच गया बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता सुखदेव चौधरी द्वारा वर्ष 1966 ई० में गोनर चौधरी का सभी खेसराओं में प्राप्त हिस्सा वाजिब जरसम्मन अदाय कर खरीद कर लिया गया वो उनका कोई हिस्सा अन्य खेसरा में नहीं बचा वो गोनर चौधरी द्वारा जिस समय अपीलार्थी के पिता को भूमि फरोख्त किया गया उस समय कोई आल–औलाद नहीं था वो अपीलार्थी द्वारा हाल सर्वे खतियान जो गोनर चौधरी वगैरह के नाम से दर्ज हो गया था के विरूद्व अन्दर धारा 106 बी०टी० एक्ट में मोकदमा दाखिल किया गया जिसका आदेश अपीलार्थी के पक्ष में हुआ वो मोताविक आदेश के हाल सर्वे खतियान में तरमीम हुआ बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी को खेसरा सं० 4031, 4022 में 8.8 डी० भूमि बजरिये केवाला दिनांकः 27.12.11 नविस्ते गणेशी चौधरी पिता –स्व० कबूतर चौधरी वहक सुरेश चौधरी पिता स्व० सुखदेव चौधरी हासिल है वो उक्त भूमि से भी रेस्पोंडेन्ट को कोई मतलब वो सरोकार नहीं है वो अपीलार्थी द्वारा बी० टी० एक्त की धारा 106 के तहत आदेश प्राप्त कर हाल सर्वे खतियान में अपने नाम से तरमीन भी करवा लिया गया है वो गोनर चौधरी अपनी एक मात्र पुत्री चौरचौनिया देवी को पीछे छोड़कर फौत किये वो गोनर चौधरी द्वारा जिस समय अपने हिस्से की कुल भूमि बेच दी गई थी उस समय उसकी पुत्री चौरचनियॉ देवी का कोई अस्तित्व नहीं था वो वाद वफात गोनर चौधरी के बहुत दिनों के बाद उसने नाजायज रूप से केवाला नविस्ते रेस्पोंडेन्ट तामिल वो तहरीर कर दी चूँकि जब चौरचनिया देवी के पिता ही अपना कुल हिस्सा वर्ष 1966 ई० में फरोख्त कर दिये तो आखिर चौरचनियॉ देवी को किस प्रकार भूमि बेचने का अधिकार रहा बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि ***रेस्पोंडेन्ट के विक्रेता एवं अन्य ने मोकदमा संख्या 59/12 (दिवानी) सब जज, प्रथम, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया हैं, जिसमें रेस्पोंडेन्ट के विक्रेता चौरचौनियॉ देवी वादी सं० 9 हैं एवं अपीलार्थी सं० 1 प्रतिवादी सं० 2 हैं वो वादी गणों द्वारा उस वाद में मद सं० 1 की भूमि जो खाता सं० 238 खेसरा सं० 4022 वो खाता संख्या 238 खेसरा सं० 4031, 4225, 4318, 4051 कुल रकवा 66 डी० को बॅटवारा करने हेतु एवं केवालेजात को नाजायज करार देने हेतु दाखिल किया गया है वो उक्त वाद वर्तमान समय में भी सब जज तृतीय के***

न्यायालय में लंबित है बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हुए यह प्रश्न उठाते हैं कि जब रेस्पोंडेन्ट के भेन्डर चौरचौनियॉ देवी एवं अपीलार्थी के बीच दिवानी वाद सं0–59/12 लंबित हैं वो चोरचौनियॉ देवी का जब तक स्वामित्व वो अधिकार विवादी भूमि पर कायम नहीं हो जाता है तब तक उसके क्रेता श्रीमति कला देवी को कैसे प्राप्त हो सकता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में भी वाद सं० 59/12 के सब जज के न्यायालय में लंबित होने की बातें कही गई थी किन्तु उन्होनें वाद संख्याः 59/12 के लंबित रहने के दरमियान हीं उसे नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांकः 24.06.2013 को पारित कर दिये जो काबिले खारीज है।

प्रतिपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में विपक्षीगण थे वो अपील वाद के विपक्षी निम्न न्यायालय में वादी थी। निम्न न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने वो अंचल अमीन के दिनांकः 16.06.2011 को नापी प्रतिवेदन एवं ग्राम कचहरी के आदेश वो विपक्षी/वादिनी के केवाला एवं मालगुजारी रसीद को देखने के पश्चात् बिल्कुल सही आदेश पारित किया गया है वो अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में दो कागजात दाखिल किया गया था वो अपील वाद में दिनांकः 28.12.1966 ई० के केवाला होने का कथन करते हुए केवाला दाखिल किया गया जबकि निम्न न्यायालय में केवाला का कथन के आधार पर वर्णन है परन्तु निम्न न्यायालय में केवाला दाखिल नहीं किया गया बतलाते हैं।

रेसपोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी की ओर से 1966 ई० का केवाला दाखिल की गई जिसमें पुराना खेसरा सं० 3504 की भूमि बिक्री की गई, जिससे खेसरा नयाः 4318 बना है जो निम्न न्यायालय वो अपील वाद में विवादी भूमि नहीं है वो ग्राम कचहरी ने भी अपने निर्णय में 1966 ई० का केवाला का जिक्र किया है वो ग्राम कचहरी के निर्णय के विरूद्ध अपील मुंसिफ न्यायालय में दाखिल करने का प्रावधान है वो अपीलार्थीगण अपील दाखिल नहीं किये वो अपीलार्थीगण के द्वारा 1966 ई० की बिक्रीनामा के आधार पर अपील वाद में किया गया कथन सही नहीं है, बतलाते हैं।

रेसपाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थीगण सुरेश चौधरी के द्वारा बी०टी० एक्ट की धारा 106 अन्तर्गत वाद संख्याः 27764/86 राम तांती के द्वारा दाखिल किया गया जिसमें सुरेश चौधरी पिता–स्व० सुखदेव चौधरी ने मध्यवर्ती पक्षकार बनाकर खाता नया 237 खेसरा नया 4031 वो 4225 वो 4318 वो 4051 की संपूर्ण रकवा का आदेश सुरेश प्रसाद चौधरी अपीलार्थी अपने नाम दिनांकः 24.05.2005 को करवाये वो तरमीम दिनांकः 21.02.2013 का होने का खतियान दाखिल किया है जबकि सहरसा बन्दोबस्त को दिनांकः 03.07.2008 ई० का निर्देश के द्वारा बन्द कर दिया गया है वो अपीलार्थी सुरेश प्रसाद चौधरी के द्वारा बी०टी० एक्ट की धारा 106 अंतर्गत खाता नया 237 खेसरा नया 4031 रकवा 13 डी० संपूर्ण का आदेश वो तरमीम खतियान होने का दाखिल किया गया है तथा निम्न न्यायालय में दिनांकः 05.02.2013 ई० को कागजात सूची के साथ केवाला सं० 13644 दिनांकः 27.12.2011 नविस्ते गणेशी चौधरी पिता– स्व० कबूतर चौधरी खतियानी रैयत से केवाला खरीद करते हैं, जिस आधार पर अपीलार्थी के द्वारा बी०टी० एक्ट में आदेश वो तरमीम स्वतः गलत ढंग से होने का प्रमाणित होता है वो अपीलार्थी के कृत्य स्पष्ट रूप, नाजायज रूप से विपक्षी महिला को तंग तबाह करने की नियत से की जा रही है वो ऐसे गलत कार्य करने वाले के विरूद्ध धारा 340 द०प्र०सं० वो धारा 195 आई०पी०सी० अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान दी गई है जिसमें जिस न्यायालय के समक्ष ऐसे कृत्य उजागर हो स्वतः संज्ञान लेते हुए दंडित करने का प्रावधान हेतु कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है,

बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि *अपीलार्थी की ओर से दाखिल टाईटिल सुट वाद संख्याः 59/12 में खतियानी रैयतों के वारिसानों के द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध दाखिल अनुतोष में अपीलार्थी के नाम तामिल केवाला दिनांकः 27.02.2011 को निरस्त करने के लिए दाखिल की गई है वो सिड़यूल 01 में खाता नया 237 खेसरा नया 4031 रकवा 13 डी० में से 08 डी० भूमि को विवादी बनाया गया है जबकि विपक्षी/वादिनी को विवादी खेसरा 4031 में रकवाः 3.28 डी० खरीदगी एवं दखल कब्जा की भूमि विवादी नहीं है वो न हीं विपक्षी/वादिनी को पक्षकार बनाया गया है जबकि विपक्षी/वादिनी को केवाला से प्राप्त भूमि केवाला नं० 12272, दिनांकः 05.10.2009 को प्राप्त है वो बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि समान ईशु रहने पर ही भूमि विवाद वाद अंतर्गत वाद की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है वो निम्न न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट रूप से समान ईशु नहीं रहने वो विपक्षी/वादिनी के पक्षकार नहीं रहने के कारण अधिकार वाद सं० 59/12 से प्रभावित नहीं होता है, जबकि विपक्षी/वादिनी के पक्ष में 2010 ई० में ग्राम कचहरी के द्वारा न्याय निर्णित है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई अपील दाखिल नहीं किया है* बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा 1966 ई० के केवाला की कथन ग्राम कचहरी में भी की गई वो ग्राम कचहरी ने 1966 में की गयी बिक्री भूमि पुराना खेसरा 3504, से नया खेसरा 4318 बनने का बतलाया है जो विवादी भूमि नहीं है वो अपीलार्थी के पास बी०टी० एक्ट के दफा 106 का कोई आदेश 2005 ई० का रहता तो केवाला के साथ दाखिल करते, जैसा ग्राम कचहरी के आदेश से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी गलत ढंग से बी०टी० एक्ट का आदेश वो तरमीम कराया है वो अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन एवं ट्रेस मैप से भी विपक्षी/वादिनी की खरीदगी भूमि का दखल कब्जा खरीदगी के पश्चात् होना बतलाया गया है तथा खरीदगी भूमि में से 02 धुर 10 धुरकी अवैध रूप से अपीलार्थी महेश्वर चौधरी वो 01 धुर अवैध रूप से सुरेश प्रसाद चौधरी अपीलार्थी के द्वारा किये जाने का प्रतिवेदन दिया गया है जिस आधार पर भी निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि वो नियम के विरूद्ध नहीं है बल्कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील वाद गलत ढंग से दाखिल कर विपक्षी/वादिनी महिला को प्रताडित करना बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया तथा अभिलेख के साथ उपलब्ध कराये गये सब–जज–I, सहरसा के स्वत्व वाद सं0–59/12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या–238 एवं 237 तथा प्लौट नं0–4022 एवं 4031 की भूमि पर स्वत्व वाद प्रक्रियाधीन (लंबित) है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का आवेदन भी खारिज किया जाता है। उभय पक्ष प्रक्रियाधीन स्वत्व वाद के फैसले के अनुरूप आगे की कार्यवाई करें। यह मामला BLDR Act के धारा 4(5) के अधीन आता है। जिस पर इस न्यायालय से फैसला होना समीचीन नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख लौटाने के साथ वाद की कार्यवाई निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा